

# Order Sheet (Subsequent)

राजस्थान कायदा - (1956) 24  
 नं. 285/24

CNR NUMBER 2402/67/8

Number of Case

1/264

Year 2023

बीराम व अन्य

Versus

शिव व अन्य

कायदा नं. 212 P.T.A. 1953

14/08/24 पत्रावली पेश। अर्चि. प्रार्थी उपर लंबे समय से अप्रार्थीगण का जवाब पेश नहीं। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। एकपक्षीय बहस सुनी गई। सुताबिक बहस अर्चि. प्रार्थी- "ग्राम जाखड़ों की दाणी, ख. सं. 360, 361 (88-07 बीघा) भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहस्वातेदारी भूमि है। उक्त भूमि के 1/2 हि. पर रिडमलराम व उनके वारिसान का तथा 1/2 हि. पर रूपाराम व उनके वारिसान का कब्जा- कारर है। अप्रार्थीगण के एक-हिरते की जमीन पर अर्चि. निर्माण कर रहे हैं, अतः उन्हें पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थीगण के एक-हिस्से में दखल ना करें।  
 उपरोक्त तथ्यों, दस्तावेजों, बहस के आचार पर प्रा. पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है-  
 " ताकेंसला मूलवाद प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधना

# Order Sheet (Subsequent)

सहायक कलेक्टर (पास्ट ड्यू) जोधपुर 2023/688  
CNR NUMBER

Number of Case ..... A/264/ Year 2023

वीराराम व अन्य Versus महेन्द्र व अन्य  
अन्तर्गत धारा - 212 RTA - 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of the
	<p>पाबंद किया जाता है कि वे मॉके पर कच्चा-पक्का निर्माण कार्य ना करे एवं बिना विधिक-विभाजन, विशिष्ट भू-भाग का बैचान ना करे। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा NHAII, PW &amp; के विधिक कार्य, भूमि-अवाप्ति पर लागू नहीं होगी। आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फंसल-शुमार होकर कारिवाल-दफतर हो।</p>	<p>Brief note of the of the</p> <p>P. Singh एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (FI), जोधपुर</p>

